Sl. No.	Name of the Company	Amount of Loan	Name of the Lender
32	M/s. Indian Tea & Restaurants Ltd. .	Aus $ 2,50,000	Bank of New South Wales, Sydney.
33	Asian Hotels	Rs. 11 crores	State Bank of India.
34	Siddharth Hotel	Rs. 3.05 crores	Indian Overseas Bank.
35	Surya International Hotel . . .	Rs. 4.75 crores	State Bank of India.
36	Indian Air-lines	Rs. 21 million	Midland Bank, London.
37	Do.	$ 56.7 million	Credit Lyonnois.
38	Pure Drinks, New Delhi . . .	Rs. 14.77 crores	Credit Lyonnois, Bank of India, Singapore, American Express & Mitsui Bank as Lead Manager.

पीयरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

9321. **श्री मोती भाई आर. चौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीयरलैस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड देश में राष्ट्रीयकरण के बाद भी जोखिम बीमा का कार्य कर रही है और क्या यह कम्पनी इस कार्य को करने हेतु प्राधिकृत है तथा यह कम्पनी किसी सरकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और रिजर्व बैंक का इस कम्पनी पर कोई नियंत्रण है ;

(ख) क्या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन बीमा निगम की तुलना में इस कम्पनी में ब्याज की उच्चतम दर और प्रीमियम की कम धनराशि के कारण अधिकांश लोग अपनी बचत इस कम्पनी में निवेश करते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं और ऐसे व्यक्तियों को कम्पनी द्वारा धोखा न दिया जा सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कंम्पनी की जोखिम यूनिटों के नाम क्या हैं और उनमें से कितनी यूनिटों के पास अधिकतम धनराशि जमा है तथा इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). यह कम्पनी, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत है । बीमा अधिनियम, 1938 के अर्थों में यह बीमाकर्ता नहीं है । अलबत्ता, उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह कंपनी "समाज कल्याण निवेश योजनाओं" (सोशल वेलफेयर सेविंग स्कीम) के नाम से कुछ योजनाएं चला रही है और यह साधारण बीमा निगम की सहायक कंपनी से व्यवस्था करके अपने ग्राहकों को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध करा रही है ।

इनामी चिट तथा धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के उपबंधों के अनुसरण में जो कि 12 दिसम्बर, 1978 से प्रभावी हुए हैं तथा इनमें बनाए गए नियमों के अधीन पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 सितम्बर, 1979 को इस कंपनी को, इसका परिसमापन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के वास्ते नोटिस जारी किया था । इस कंपनी ने तर्क दिया कि उसका व्यवसाय उक्त अधिनियम से व्याप्त नहीं होता और इसने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व

बैंक के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर की तथा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । यह मामला अभी न्यायाधीन है ।इसी बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने, लोक हित में, इस कंपनी को, रिजर्व बैंक की अनुमति तथा प्रमाण-पत्र धारकों को जमाराशियों के भुगतन के प्रयोजन को छोड़कर एक बैंक के पास जमा प्रमाण-पत्रों तथा सरकारी प्रतिभूतियों को वापस न लेने संबंधी निर्देश जारी किये थे ।

(ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31-12-80 की स्थिति के मुताबिक कंपनी के तुलन पत्र के अनुसार इस तारीख को कंपनी के कार्यालयों/शाखाओं की स्थिति तथा इसकी देयताओं और परिसंपत्तियों के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

(1) शाखाओं/कार्यालयों की संख्या

पूर्वी क्षेत्र	
पश्चिम बंगाल	26
उड़ीसा	2
बिहार	6
असम	4
त्रिपुरा	1
पश्चिमी क्षेत्र	
महाराष्ट्र	2
मध्य प्रदेश	2
गुजरात	1
उत्तरी क्षेत्र	
दिल्ली	2
पंजाब	2
उत्तर प्रदेश	4
राजस्थान	1
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	1
कर्नाटक	1
जोड़	55

(2) परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षिप्त विवरण

(करोड़ रुपये)

देयताएं		परिसंपत्तियां	
चुकता पूंजी तथा प्रारक्षित निधियां	1.45	अचल परिसंपत्तियां, भवन तथा फ़र्नीचर आदि	1.53
समाज कल्याण योजना निधि (जनता को देयताएं) अर्थात् योजना के अधीन प्रमाण-पत्र धारक)	95.18	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (सरकारी प्रतिभूतियों, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश)	109.14
चालू तथा बकाया देनदारियां और व्यवस्था	33.99	अन्य निवेश	2.63
		रोकड़ तथा बैंक अधिशेष	9.57
		अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.75
जोड़	130.62		130.62